न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 118/2015 (उदयपुर डिक्री)

नरेश पिता भंवरलाल जी कलाल, निवासी डाकन कोटड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. मनोहरलाल पिता भैरूलाल जी कलाल, निवासी डाकन कोटड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. सुखलाल पिता भैरूलाल जी कलाल, निवासी डाकन कोटड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजेन्द्र पिता प्रभूलाल जी कलाल, निवासी डाकन कोटड़ा, तहसील गिर्वा, हाल निवासी देवपुरा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
4. भगवतीलाल पिता प्रभूलाल जी कलाल, नि. डाकन कोटड़ा, हाल निवासी वासुदेव दूध भण्डार के पीछे, झीणीरेत, सूरजपोल, उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती लाजवन्ती पुत्री प्रभूलाल जी कलाल (पत्नी रतनलाल जी कलाल) निवासी सेक्टर नंबर 3, डोरे नगर, उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती नन्द कुंवर पुत्री प्रभूलाल जी कलाल (पत्नी गिरीश जी कलाल) निवासी सेक्टर नंबर 3, डोरे नगर, उदयपुर (राज.)
7. जोरावरसिंह पिता भंवरलाल जी कलाल, निवासी बुझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. महेन्द्र पिता जोरावरसिंह जी कलाल, निवासी बुझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. बादल पिता जोरावरसिंह जी कलाल, निवासी बुझड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती प्रीति पुत्री भंवरलाल जी (पत्नी घनश्याम जी कलाल), निवासी 442, अमर नगर, मुल्ला तलाई, उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती जसवन्त पुत्री भंवरलाल जी (पत्नी राजेन्द्र जी कलाल), निवासी सज्जनगढ़ रोड़, उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री भंवरलाल जी (पत्नी भैरूलाल जी कलाल), निवासी सुरजन्यास, तहसील गंगरार
13. जसराज पिता भंवरलाल जी कलाल, निवासी सारण, तहसील गंगरार

14. भरत पिता भंवरलाल जी कलाल, निवासी सारण, तहसील गंगरार

15. भंवरलाल पिता नन्दलाल जी कलाल, निवासी सारण, तहसील गंगरार

16. श्रीमती चन्दा पुत्री भंवरलाल जी (पत्नी मुकेश जी कलाल), निवासी तोरणिया, तहसील गंगरार

17. गमेरसिंह पिता ओनारसिंह जी राजपूत, निवासी डाकन कोटड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

18. श्रीमती नैण कुंवर पत्नी गमेरसिंह जी राजपूत, निवासी डाकन कोटड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

19. किशनसिंह पिता ओनारसिंह जी राजपूत, निवासी डाकन कोटड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

20. श्रीमती प्रीति पत्नी चन्दन जी सुवालका, निवासी 48–के, वारिणों की घाटी, उदयपुर (राज.)

21. श्रीमती कमला देवी पत्नी रामप्रसाद जी सुवालका, निवासी 340/22, टेकरी रोड़, पुलिस लाईन, उदयपुर (राज.)

22. श्रीमती जगु बाई दुख्तर भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी डाकन कोटड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

    22/1. मनोहरसिंह पिता नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी डाकन कोटड़ा

    22/2. तख्तसिंह पिता नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी डाकन कोटड़ा

    22/3. श्रीमती सज्जन कुंवर पुत्री नाहरसिंह जी, निवासी डाकन कोटड़ा

    22/4. रतनसिंह पिता नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी डाकन कोटड़ा

    22/5. श्रीमती दरियाव कुंवर पुत्री नाहरसिंह जी, निवासी डाकन कोटड़ा

    22/6. श्रीमती कैलाश कुंवर पुत्री नाहरसिंह जी, निवासी डाकन कोटड़ा

    22/7. श्रीमती पुष्पा कुंवर पुत्री नाहरसिंह जी, निवासी डाकन कोटड़ा

    22/8. नाहरसिंह पिता डूलेसिंह जी राजपूत, निवासी डाकन कोटड़ा

23. रामसिंह पिता डूलेसिंह जी राजपूत, निवासी डाकन कोटड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

24. देवीसिंह पिता डूलेसिंह जी राजपूत, निवासी डाकन कोटड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

25. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0—1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 18.11.2015, प्र.सं. 62/13

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री मनीष मोगरा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री नरेन्द्र सोनी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं0 2 व 5
3. श्री अजयसिंह हाड़ा अभि.रे.सं. 11, 12, 14, 16, 17

———:::———

निर्णय **दिनांक 10—05—2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद घोषणा, बंटवाड़ा एवं निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डाकन कोटडा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 की आराजियात स्थित हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 17 व 22 के खानदान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। उक्त सजरे में बताये भंवरलाल, प्रभूलाल, पार्वती, मंजू व जमना की मृत्यु हो चुकी है। उक्त भूमियां वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 17 की मौरूसी भूमियां हैं। मूल पुरूष भेरूलाल जी के 4 पुत्र भंवरलाल, प्रभूलाल, मनोहरलाल व सुखलाल हुए एवं भूमियां उनके नाम 1/4, 1/4 हिस्से अनुसार दर्ज हुई एवं इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। भंवरलाल की मृत्यु हो चुकी है, जिसका वादी पुत्र होकर उनकी भूमियों पर काबिज है। उक्त भूमियों का अभी मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा प्रभूलाल ने आपसी बंटवाड़ा बराबर हक हिस्से से करना तय कर स्टाम्प पर लिखा—पढ़ी करा लाये व वादी के पिता भंवरलाल जी के हस्ताक्षर करा लिए तथा पटवारी हल्का व तहसीलदार से मिलकर दिनांक 28—02—1996 को तस्दीक करा लिया, जबकि कथित लिखा—पढ़ी बराबर हिस्से से नहीं की जाकर भंवरलाल के हिस्से में केवल आराजी नंबर 646 रकबा 0.4400 हैक्टर भूमि ही रखी गयी है, जबकि 1/4 हिस्से अनुसार उसे खाते में 1.2590 हैक्टर भूमि आती है। इसी तरह प्रभूलाल के हिस्से में 1.2590 हैक्टर भूमि आनी चाहिए था, लेकिन उनके हिस्से में 1.0300 हैक्टर भूमि रखी गयी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में 3.5650 हैक्टर भूमि रखी गयी है, जबकि दोनों को मिलाकर 2.5180 हैक्टर भूमि

ही आनी चाहिए थी, इस प्रकार उनके हिस्से में 1.0470 हैक्टर भूमि अधिक आयी है, जिससे ही स्पष्ट है कि बंटवाड़ा हिस्से अनुसार नहीं किया है तथा यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में सड़क के पास की भूमि रखी गयी है, जिसकी कीमत 40,00,000/– रूपये प्रति बीघा है, जबकि वादी के पिता के हिस्से में पीछे की भूमि रखी गयी है, जिसमें आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। आराजी नंबर 210 से 213, 216 व 217 पर भंवरलाल जी कब्जा होते हुए भी प्रभूलाल के हिस्से में बतायी गयी है, जो गलत है। भंवरलाल जी की मृत्यु के बाद वादी आराजी नंबर 646, 210 से 213, 216 व 217 पर काबिज है। उक्त बंटवाड़ा प्रभूलाल व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा भंवरलाल को धोखा देकर करवाया गया है तथा बंटवाड़े के आाधार पर राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है, जो भंवरलाल व वादी के विरूद्ध बेअसर व शून्य हैं। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर प्रभूलाल ने आराजी 621 रकबा 0.1200 हैक्टर भूमि दिनांक 02–12–2000 को प्रतिवादी संख्या 20 को विक्रय कर दी है। इसी प्रकार मनोहरलाल द्वारा भी आराजी नंबर 280 से 287, 292 से 302, 305 कुल किता 20 रकबा 3.4850 हैक्टर का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 21 व 22 को दिनांक 06–08–2004 को विक्रय कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 सुखलाल द्वारा भी प्रतिवादी संख्या 21 व 22 को आराजी नंबर 280 से 283 कुल किता 4 रकबा 0.4600 हैक्टर का विक्रय कर दिया है एवं इसी प्रकार अन्य को भी भूमियां विक्रय कर दी गयी है, जबकि भूमियों का अभी विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त विक्रय बिना अधिकार के होकर वादी के मुकाबले शून्य व बेअसर हैं। अतएवं निवेदन किया कि विवादित आराजियात के 1/4 हिस्से का वादी व प्रतिवादी संख्या 8 से 17 को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 व प्रभूलाल द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 02–12–2000, 24–07–2000, 06–08–2004, 01–09–2009त्र 01–03–2011, 26–09–2011, 21–09–2012 को वादी व प्रतिवादी संख्या 8 से 17 के विरूद्ध बेअसर व शून्य घोषित किया जावे तथा मीट्स एण्ड बाउण्ड्स वादी व प्रतिवादी संख्या 8 से 17 के 1/4 हिस्से की भूमि का विभाजन किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की परिशिष्ट ''क'' में अंकित आराजी नंबर 295 से 302 व 305 आबादी में दर्ज हैं, जिनका

श्रवणाधिकार इस न्यायालय का नहीं होने से इन आराजियात के संबंध में उसका वाद विड्री किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त हद तक वादी का वाद विड्रो करने की स्वीकृति दिनांक 22—04—2014 को प्रदान की।

प्रकरण में दिनांक 14—05—2013 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा 21 व 22 की ओर से आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 6 में एक पांती बंटवाड़ा दिनांक 28—02—1996 को हुआ है, जिसे वादी ने स्वीकार किया है एवं उसके द्वारा उसके हिस्से का भूमि को विक्रय कर दिया है तथा अन्य सहखातेदारान द्वारा भी उक्त पांती बंटवारे अनुसर अपने हिस्से में आयी भूमियों का समय—समय पर विक्रय कर दिया गया है, जिनका विस्तृत वर्णन वादी ने वाद पत्र की कलम संख्या 7 में किया है। वादी ने उक्त विक्रय पत्रों को शून्य व बेअसर घोषित कराये जाने का वाद पेश किया है, जिसका श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। इसके अलावा आराजी नंबर 210 से 213, 216 व 217 की भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 76 को राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 8 से जोड़ने के लिए देबारी से काया तक प्रस्तावित बाई पास हेतु अवाप्त कर ली गयी है, जिसका प्रकाशन राजस्थान पत्रिका में किया जाकर दिनांक 28—12—2012 को अवाप्ति का नोटिस भी जारी हो चुकी है, जिसकी कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के यहां लम्बित है, जिससे भी उक्त वाद चलने योग्य नहीं है। वादी गंगाराम के यहां गोद चला गया था तथा उसे गोद पिता गंगाराम से सम्पत्ति प्राप्त हुई है। इस प्रकार वादी का विवादित भूमियों में किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं है। अतएवं वादी को इन भूमियों बाबत् दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है।

उपरोक्त आवेदन का जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आबादी भूमियों के संबंध में वादी ने अपना वाद विड्रो करा लिया है तथा प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कहीं अंकित नहीं किया है कि वादी का वाद किस आधार पर बार्ड बाई लॉ है। प्रतिवादीगण का यह कथन कि वादी ने बंटवाड़ा होना स्वीकार कर लिया गया, गलत है। प्रतिवादीगण ने अपने आवेदन में जो आपत्यिां उठायी हैं, उसे जवाबदावे में उठाया जाना चाहिए था, जिन पर तनकियात कायम की जाकर ही निर्णय किया जा सकता है। अतः उक्त आवेदन खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 जा.दी. पर उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 18—11—2015 से प्रतिवादीगण का आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर वादी को पुनः बंटवाड़े का दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होने के कारण एवं विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायलय का होने के कारण वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 18—11—2015 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 15—12—2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 5 की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सोनी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11, 12, 14, 16 व 17 की ओर से वकील श्री अजयसिंह हाड़ा उपस्थित हुए। दौराने कार्यवाही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 22 की मृत्यु हो जाने से उसके कायम मुकाम संस्थति किये गये। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटि पूर्ण है। उक्त बंटवाड़े पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 तथा प्रभूलाल ने आपस में मिलकर अपीलान्ट के पिता से धोखे से हस्ताक्षर करवा लिये हैं, जो अपीलान्ट के मुकाबले बेअसर है। उक्त बंटवाडें में वादी के पिता के हिस्से में कभी कम भूमि रखी गयी है तथा सड़क से पीछे की तरफ रखी गयी है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 तथा प्रभूलाल के पक्ष में अधिक भूमि रखी गयी है वह भी सड़क के पास रखी गयी है, जिसकी कीमत काफी ज्यादा है। अधिनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण वाद को विक्रय निरस्ती बाबत् मानते हुए सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार होना बताकर

वादी का वाद खारिज कर दिया है, जबकि वादी का वाद उक्त विक्रय पत्रों को शून्य घोषित किये जाने का बल्कि खातेदारी घोषणा का भी था। वादी का वाद किसी भी रूप में बार्ड बाई लॉ नहीं था। उक्त भूमि पैत्रृक सम्पत्ति होने से वादी का जन्म से अधिकार है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि वादी स्वयं अपने वाद में यह कहकर आता है कि उसके पिता भंवरलाल से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 तथा प्रभूलाल जो कि भंवरलाल के भाई हैं, ने धोखे से बंटवाड़ानामें की लिखा–पढ़ी में हस्ताक्षर करवा लिये हैं। अर्थात यह सुस्पष्ट है कि यह विभाजन भंवरलाल के हस्ताक्षर शुदा है तद्नुसार उसकी सहमति होने अथवा सहमति विधि विरूद्ध होने के तथ्य को सहमति राजीनामा ही माना जायेगा, क्योंकि भंवरलाल के हस्ताक्षर को बाद वादी/अपीलान्ट स्वयं स्वीकार करता है। उक्त आधार पर सहमति विभाजन होने के बाद भंवरलाल को जो भूमियां प्राप्त हुई उनका विक्रय भी उसके द्वारा कर दिये जाने का तथ्य अखण्डित है तथा यह भी स्पष्ट है कि भूमियां का अन्य खातेदारान द्वारा उनको प्राप्त हिस्से का विक्रय सहमति बंटवाड़े अनुसार एकल खातेदार होने से कर दिया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सहमति विभाजन के बाद उक्त प्रकरण में जो कि सहमति विभाजन बकौल वादी दिनांक 28–02–1996 को तस्दीक हुआ है उक्त विभाजन/सहमति विभाजन की अपील करने के स्थान पर पुनः नया वाद प्रस्तुत करने को रेस ज्यूडीकेटा माने जाने में किसी प्रकार की को विधिक त्रुटि कारित की जाना प्रकट नहीं होता है। यदि अपीलान्ट यह मानता है कि उसके पिता की सहमति नहीं थी तो उसके द्वारा सहमति से प्राप्त भूमियों का विक्रय किया जाना स्पष्टया सहमति का ही द्योतक है। साथ ही सहमति विभाजन के बाद संबंधित खातेदारान द्वारा जो विक्रय किये गये हैं, उक्त विक्रय पत्रों को प्रथम दृष्टया अवैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि विधिक प्रकिया के तहत विभाजन होकर संबंधित सहखातेदारान प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन से प्राप्त अपनी भूमियों का विक्रय किया गया है, तद्नुसार उक्त दस्तावेज प्रारम्भता अवैध नहीं होकर अवैधकरणीय/वोईडेबल हैं, जिसका क्षेत्राधिकार स्पष्टतया अधिनस्थ राजस्व न्यायालय को नहीं है। तद्नुसार स्पष्टया अधिनस्थ न्याालय में पेश शुदा वाद जिसकी सहमति बंटवाड़े की अपील किये जाने के स्थान पर नया वाद प्रस्तुत किये जाने से उक्त वाद रेस

ज्यूडीकेटा से बाधित होकर विधि विरूद्ध है। वहीं अन्य सहखातेदारान द्वारा विभाजन के पश्चात् किये गये विक्रय पत्रों के निरस्तीकरण का अधिकार भी अधिनस्थ न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय का है।

उपरोक्त दोनों महत्वपूर्ण कारणों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय में वादी का उक्त वाद विधि विरूद्ध होकर पोषणीय नहीं होने से तथा विक्रय पत्रों का निरस्तीकरण हुए बिना अधिनस्थ न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने से अधिनस्थ द्वारा द्वारा उक्त वाद विधि विरूद्ध मानकर प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज करने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि की जाना हम नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–11–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10–05–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम...............**उदयपुर**.............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** ....

नरेश पिता भंवरलाल जी कलाल, निवासी डाकन कोटड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **मनोहरलाल पिता भैरूलाल जी कलाल, निवासी डाकन कोटड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं॰.......**118/2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....**उपखण्ड अधिकारी**..... ....**गिर्वा**.......... मुकाम................मुवर्खे.............**18**...............माह..............**11**............**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**10**....माह........**05**.......सन् **2018** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मनीष मोगरा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री नरेन्द्र सोनी/अजसिंह हाड़ा**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–11–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**10**......माह.......**05**...........**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।